क्रम संख्या—203

पंजीकृत संख्या—यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012—14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग—4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

देहरादून, शुक्रवार, 26 जुलाई, 2013 ई0
श्रावण 04, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग—9

संख्या 342/XXVII(9)/2013/स्टाम्प—53/2009
देहरादून, 26 जुलाई, 2013

अधिसूचना

प0 आ0—137

राज्यपाल, साधारण खण्ड अधिनियम, 1897 (अधिनियम संख्या 10 वर्ष 1897) की धारा 21 के साथ पठित (समय—समय पर यथासंशोधित) भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या 2, वर्ष 1899) की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा अधिसूचना संख्या 719/27—9—2008/स्टाम्प—53/2009 दिनांक 06.10.2009 का अधिक्रमण करते हुए इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से वैयक्तिक या पृथक रूप से एक या उससे अधिक स्त्रियों के पक्ष में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक की स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत तक कमी किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

परन्तु, यह कि यदि किसी लिखत के संबंध में किसी स्त्री के पक्ष में अन्तरण विलेख का मूल्य पच्चीस लाख रूपये से अधिक निर्धारित किया जाता है, तो उस पर स्टाम्प शुल्क की गणना में पच्चीस लाख रूपये मूल्य तक स्टाम्प शुल्क में पच्चीस प्रतिशत की छूट दी जाएगी और पच्चीस लाख रूपये से अधिक मूल्य पर स्टाम्प शुल्क की गणना, पूर्व निर्धारित दरों के अनुसार प्रभार्य होगी। एक स्त्री या उससे अधिक स्त्रियों और एक पुरूष या उससे अधिक पुरूषों के पक्ष में संयुक्त रूप में निष्पादित अन्तरण विलेख की दशा में स्त्री/स्त्रियों के यथा उल्लिखित अंश की सीमा तक स्टाम्प शुल्क में उक्तानुसार कमी कर दी जाएगी, किन्तु यदि स्त्री/स्त्रियों का ऐसा अंश लिखत में विनिर्दिष्ट नहीं है, तो लिखत पर स्टाम्प शुल्क इस प्रकार देय होगा, मानो ऐसी लिखत पर स्टाम्प शुल्क में कोई कमी स्वीकार्य न की गयी हो।

आज्ञा से,

राकेश शर्मा,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the notification no. 342/2013/XXVII(9)/Stamp-53/2009, Dehradun, dated July 26, 2013 for general information:

No. 342/2013/XXVII(9)/Stamp-53/2009
Dated Dehradun, July 26, 2013

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub-section (1) of section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (Central Act 2 of 1899) (as amended from time to time) read with section 21 of the General clause Act, 1897 (Act No. 10 of 1897) and in supersession of Notification No. 719/27-09-2008 /Stamp-53/2009 dt 06-10-2009 the Governor is pleased to reduce with effect from the date of publication of this notification in the Gazette, the stamp duty upto twenty five percent in respect of transfer of immovable property for a value of rupees twenty five lakh in favour of one or more women individually or severally.

Provided that if the transfer deed in favour of a women is valued more than twenty five lakh rupees, the stamp duty upto twenty five lakh rupees shall be calculated on the twenty five percent reduced value and the stamp duty on higher than Rupees twenty five lakh will be calculated at the previous prevailing rates. If the transfer deed is executed in favour of one woman or more and one man or more, if the share of the woman/women is specified then the stamp duty payable on such instrument shall be reduced to the extent of the share of the woman/women, but if such share of the woman/women is not specified in the instrument, then, the stamp duty shall be payable on the instrument as if no reduction in stamp duty had been granted on such instrument.

By Order,

RAKESH SHARMA,
Principal Secretary.

पी०एस०यू० (आर०ई०) 37 वित्त/482–2013–100+200 (कम्प्यूटर/रीजियो)।